आर्थिक सबलीकरण के स्त्री-विमर्श में शिक्षा की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

शरद सिन्हा*
जितेंद्र कुमार लोढ़ा**

शिक्षा एवं स्त्री-विमर्श के संबंधों के विवेचन से यह सार निकलता है कि आज के स्त्री-विमर्श की सबसे बड़ी आवश्यकता है– उसका सर्वपक्षीय सबलीकरण होना। चूँकि शिक्षा सदैव से ही, सभी प्रकार के विकासों व सशक्तीकरणों की अधिष्ठात्री रही है। अतः महिला-संदर्भित आर्थिक-सबलीकरण की अवधारणा अपने विकास के लिए शिक्षा व शिक्षा जगत से किंचित भी परे नहीं हो सकती। क्योंकि स्त्री-जीवन के उत्पादकीय-पक्षों के निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्त्री-जीवन के आर्थिक-उन्नयन हेतु शिक्षा के ज्ञानात्मक, कौशलात्मक एवं अभिवृत्त्यात्मक कार्य हमेशा की तरह आज भी इस दिशा के सबसे प्रभावशाली एवं समाधानीय विकल्प हैं। जिसका चयन करने से ही अर्थजगत में न केवल स्त्रीजन्य उत्पादकता को मान्यता मिलेगी, बल्कि उसके उत्पादन को, उसकी आय के संदर्भ में देखे जाने की प्रवृत्ति को भी बल मिलेगा। शायद इसीलिए भारत के प्रसिद्ध भविष्यशास्त्री प्रो. मैल्कम एस. आदिशेषैया का कहना एकदम समीचीन लगता है कि - *"चाहे किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, वो परिवार व समाज के सूक्ष्म एवं व्यापक आर्थिक-परिवर्तनों, आर्थिक-समझ एवं आर्थिक-कौशलों का आधार है। अपने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्वरूप में वो विद्यार्थियों में सामान्य व सम्यक् अभिवृत्तियों का तथा उच्च शिक्षा के स्वरूप में वो दक्षतापरक-कौशलों का विकास करके समाज में आवश्यक परिवर्तनों की समझ पैदा करती है।"* इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा आर्थिक परिवर्तनों, समझ व कौशलों का आधार है, जो अवांछित आर्थिक-परिवर्तनों से समाज को बचाती है तथा वांछित आर्थिक-परिवर्तन प्राप्त करने के लिए समाज को प्रशिक्षित करती है। इसलिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का पहलू भी अपने विकसित स्वरूप के लिए, शिक्षा से परे हो ही नहीं सकता। क्योंकि शिक्षा तो विकास की वो वाहिनीका है, जिसे किसी भी रास्ते में ले जाया जा सकता है, रास्ता हमें निर्धारित करना है, शिक्षा तो किसी भी रास्ते में बहने को तैयार है, क्यों न हम उसे महिला-अर्थोपार्जन की राह दिखा दें।

* *एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, डी. ई. आर. पी. पी., एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

** *विभागाध्यक्ष* (सेवारत-शिक्षा), बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गाँधी विद्या मंदिर, सरदारशहर, चूरू, राजस्थान

विषयपरक-पृष्ठभूमि

90 के दशक के बाद भारत में स्त्री-विमर्श के तहत् कई नए मुद्दों पर ज़ोरदार बहस की शुरूआत हुई है। जिसमें महिला-सशक्तीकरण के पुराने मुद्दे के साथ-साथ बाज़ारवाद, पर्यावरण, स्त्रियों के खिलाफ सांप्रदायिक एवं राज्य प्रयोजित हिंसा, लिंग-भेद युक्त शिक्षा-नीति इत्यादि प्रमुख हैं। स्त्री-विमर्श के तहत् आज तीन दशक पूर्व वाला दृष्टिकोण बदल चुका है। उस समय स्त्री-शरीर की स्वतंत्रता पर अधिक ज़ोर था। यद्यपि यह मुद्दा आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इस समय इसे एक ढाँचागत समस्या के तौर पर देखा जाता है। महिला संदर्भित चिंतन में एक महत्वपूर्ण कदम यह भी है कि अब यह विमर्श एक आंदोलन व विचारधारा मात्र नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसे अकादमिक विषय के तौर पर उभरा है, जो एकांगी पुरुषवादी दृष्टिकोण को खारिज करते हुए, ऐसे सिद्धांतों की बात करता है, जिसमें पुरुषों के साथ-साथ स्त्रियों के अनुभव भी शामिल हों, ताकि विभिन्न विषयों पर एक सम्यक् दृष्टिकोण का निर्माण हो सके। इस विचार की पृष्ठभूमि में महिला-सशक्तीकरण से तात्पर्य महिलाओं का पुरुषों के समान वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता से है। भारत में महिला-सशक्तीकरण का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं को सुधारना है।[1]

स्त्री-जीवन के निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए भारत में स्त्रियों की शिक्षा शुरू से ही बहस का विषय रही है। 21वीं सदी में औपनिवेशिक भारत में स्त्री-शिक्षा की विषय-वस्तु क्या हो? उसका स्वरूप, चरित्र कैसा हो? इन मुद्दों पर काफ़ी मत-मतांतर रहे। इन मत-मतांतरों के बावजूद स्त्री-शिक्षा के हिमायती तक भी इस बात पर सहमत रहे कि स्त्रियों की शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे वे आदर्श माँ-पत्नी की भूमिका ठीक ढँग से निभा सकें। शिक्षा द्वारा स्त्रियों में स्वतंत्र चेतना का विकास हो, इसका प्रयास आज भी अपनी चिर-परिचित आकाँक्षा के साथ अपेक्षित है। पाँचवीं पँचवर्षीय योजना तक स्त्री-शिक्षा का मूल उद्देश्य महिला शिक्षकों की ज़रूरतें पूरी करना था, जिसके कारण पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया, जो महिलाओं को गृहिणियों और नौकरीपेशा औरतों दोनों की भूमिकाओं के अनुकूल बना दे। स्त्री-शिक्षा के योजनागत व ढाँचागत प्रयासों के बावजूद भी, आज स्त्री-शिक्षा का विमर्श लैंगिक-असमानता के दृष्टिकोण को पूरी तरह से नहीं मिटा सका

1. सिंह, रजनी रंजन "*सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तीकरण की वास्तविकताएँ,*" परिप्रेक्ष्य, न्यूपा नयी दिल्ली, वर्ष 14, अंक 1, अप्रैल 2007, पृ. 33.

है। स्त्री-शिक्षा की महिला-सशक्तीकरण के पटल पर असफलता को स्त्री-संदर्भों की एक लेखिका ने अपने आलेख *"देखो-देखो उनकी उच्च-शिक्षा का उजाड़"* में बखूबी उजागर करते हुए लिखा है कि *"स्त्री-शिक्षा और स्त्री के लिए रोजगार की अहमियत को समाज और राज्य-व्यवस्था आज भी पूरी तरह से उसके स्वामी और परिवार के संदर्भ में बांटकर परखने के आदी हैं।"*[2]

शिक्षा का अधिकार विधेयक-2009 के लागू होने, शिक्षा में लैंगिक-असमानता मिटाने के अथक प्रयासों, महिला-सशक्तीकरण के विधिक उपायों के साथ-साथ महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के सादृश्य अनेक कार्यक्रमों की क्रियान्वितियों के बावजूद भी शिक्षा की चौखट में आज भी स्त्री-सशक्तीकरण में उसकी भूमिका व उत्तरदायित्वों के प्रश्न बाकी हैं। जो बात मुख्य व महत्वपूर्ण है, वो यह है कि शिक्षा की प्रक्रिया में महिलाओं को कितने किस्म के व कितने पुख्ता शैक्षिक-अनुभव उपलब्ध हो पाते हैं, ताकि उनमें आत्मविश्वास बढ़े, उनके कौशलों में इज़ाफ़ा हो, जिसके चलते वे अपना भविष्य गढ़ सकें और समाज के संचालन में बेहतर भागीदार बन सकें। इस संबंध में शिक्षाविद् कृष्ण कुमार का चिंतन एकदम समीचीन है कि *"स्त्रियों की कुशलताओं व निर्णयकर्ताओं के रूप में आर्थिक श्रमबल में भागीदारी की उनकी क्षमताओं को लेकर जो गहरी मानसिक बाधाएँ हैं, उन्हें लाँघा जाए, तभी जाकर हम महिला-सबलीकरण के मुद्दे को शिक्षा के पटल पर सही मायने में रेखांकित कर सकेंगे।"*[3]

शिक्षा व्यक्तिगत विकास की ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें किसी का भविष्य गढ़ने में वयस्कों व बड़ों की अपेक्षाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देखा जाता है कि माता-पिता व शिक्षक लड़कों की तुलना में लड़कियों से बहुत कम उम्मीदें रखते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया से मात्र इतनी उम्मीदें रखी जाती हैं कि समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप लड़कियाँ विवाह के लिए आवश्यक योग्यताएँ पा लें। जब लड़कियाँ स्त्री के स्वरूप को धारण करती हैं, तब तक समाज की इन अपेक्षाओं को आत्मसात् कर चुकी होती हैं। उस समय ये अपेक्षाएँ ही उनके लिए मानसिक-अवरोध बन जाती हैं। ये अवरोध उनकी 'अस्मिता' की दृष्टि को रोकते हैं और यह भूख जगाते हैं कि उन्हें स्वयं अपना लक्ष्य चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। स्त्रियों के संदर्भ में

2. सौरभ, सुमित "*स्त्री एक शब्द नहीं' है सिर्फ*", पुस्तक वार्ता, महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र, वर्ष-5, अंक-19, जन.-फर. 2006, पृ. 26-27.
3. कुमार, कृष्ण, "*बालिका सशक्तीकरण में कमी क्या है*", शिक्षा-विमर्श, दिगंतर शिक्षा व खेलकूद समिति, जयपुर, वर्ष 10, अंक-3, मई-जून-2008, पृ. 17.

शिक्षा में ये अंतर्विरोध उतनी ही बड़ी चुनौती प्रस्तुत करते हैं, जितनी बड़ी चुनौती आधुनिक अर्थव्यवस्था में भागीदारी के लिए ज्ञान व कौशलों को अर्जित करना है। स्त्रियों की इन बाधाओं को पहचानने के बाद, उन्हें लाँघने में सक्षम बनाने का काम केवल बौद्धिक रूप से उत्तेजक एवं समानता के दर्शन पर आधारित गुणवत्तायुक्त शिक्षाशास्त्र ही कर सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि महिला सशक्तीकरण के मुद्दे पर उसके निबल व सबल पक्ष के लिए शिक्षा नहीं, बल्कि शिक्षा के पैरोकार ज़िम्मेदार है। शिक्षा तो सर्वांगीण विकास का बीज तथा फूल दोनों है। इसलिए जब पैरोकार चाहेंगे, तब शिक्षा स्त्री-सापेक्ष हो जाएगी। दूसरा, लेकिन महत्वपूर्ण रास्ता यह है कि, क्यों न स्त्रियाँ स्वयं शिक्षा की पैरोकार बन जाएँ तथा अपने सबलीकरण के बीजों की स्वयं ही निराई व जुताई कर लें।

शिक्षा के आयोजनों व पाठ्यक्रमों में जब लैंगिक-असमानताओं के प्रति सावधानी बरती जाएगी, तब ही हम शिक्षा को समता, दक्षता एवं गुणवत्ता के पटल पर सही मायने में आँक सकेंगे। मौजूदा शिक्षा-नीति में स्त्री-शिक्षा को लेकर सांकेतिक न्यूनतावाद का दृष्टिकोण प्रचलित है। सांकेतिक न्यूनतावाद में छात्रवृत्ति प्रदान करना, बैंक में कुछ राशि प्रतिमाह जमा कराना, गणवश, साइकिलें, पाठ्यपुस्तकें एवं कंप्यूटर आदि बाँटने की प्रक्रिया शामिल है। यह सच है कि ऐसे प्रोत्साहन भी उनकी व्यक्तिगत क्षमता में इज़ाफ़ा करते हैं, लेकिन स्त्री-विमर्श अर्थात् लैंगिक रिश्तों के संदर्भ में शिक्षा व शैक्षिक नियोजन के समक्ष जो प्रकृति व व्यापकता है, उनसे निपटने के लिए ऐसे छोटे उपाय अपर्याप्त हैं। इसके लिए हमें स्त्रियों के सांस्कृतिक दमन एवं उनके शैक्षिक वचन की पृष्ठभूमियों को देखकर महिला सशक्तीकरण की व्यापक शैक्षिक संभावनाओं को तलाशना होगा, जिससे वे कौशलों से परिपूर्ण स्वयं निर्णयकर्ता के रूप में प्रतिस्थापित होकर, अपना सामाजिक व आर्थिक पक्ष इतना मजबूत बना लें कि शेष सभी भेदभाव उसके तेजस से स्वत: मिट जाए। ख़ैर, एक बात तो वर्तमान में स्त्री-विमर्श के पक्ष की है, वो यह है कि आज के शिक्षा के पैरोकारों ने, चाहे अस्पष्ट रूप से ही सही, यह तो स्वीकार कर लिया है कि महिला सशक्तीकरण की दरकार है।

शिक्षा की प्रकृति व मानव-जीवन में उसकी उपस्थिति के सरोकार अपने-आप में यह सिद्ध करते हैं कि शिक्षा एक विकासगामी मार्ग है, जिस पर चलकर आर्थिक-सबलीकरण ही क्या, मानव-जीवन की सभी शक्तियों के सबलीकरण को दिशा मिलती है। अपने समानतावादी एवं सर्वहितार्थ उपागम के चलते शिक्षा, स्त्रियों के कल्याण से कहीं भी परे नहीं हो सकती। विषय की गम्भीरता को समझते हुए आज हमें शिक्षा के माध्यम से स्त्रियों में अपने आर्थिक विकास की संवेदनाएँ, ज्ञान, प्रशिक्षण, कौशल,

दक्षता एवं निर्णय लेने की क्षमताओं के विकास के साथ-साथ उनमें अपने उत्पादकीय कार्यों की पहचान व मूल्यांकन की क्षमताओं को भी विकसित करना होगा। इस संबंध में प्रसिद्ध अर्थचिंतक टी.डब्ल्यू शुल्ज का यह कथन भी प्रासंगिक है कि *"आर्थिक-सशक्तीकरण के लक्ष्य में आपके पास सब साधन मौजूद हों लेकिन किसी व्यवसाय का तकनीकी ज्ञान तथा तद्नुरूप कौशल न हो, स्थानीय अर्थव्यवस्था का ज्ञान न हो, साक्षर न हों तो उत्पादन में कमी आना स्वाभाविक है।"*[4] इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्र के आर्थिक-सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ स्त्री-संदर्भित आर्थिक-सुदृढ़ीकरण की अवधारणा भी शिक्षा का ही फलन है। इसे यदि हम आज के व्यवहार में देखें तो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि आजकल की पढ़ी-लिखी, काम करने वाली आधुनिक युवतियाँ आर्थिक मामलों में ज़्यादा आत्मनिर्भर हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं को मानसिक गुलामी से मुक्त करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, जिसको पाने के लिए हैं हमें पहले शिक्षारूपी राजमार्ग पर चलना होगा....

महिलाओं के आर्थिक-सशक्तीकरण में शिक्षा की भूमिका

शिक्षा आर्थिक विकास का एक सशक्त माध्यम है। शिक्षा के फलदायी प्रक्रम से एक व्यक्ति-विशेष, समुदाय या राष्ट्र, स्वयं के आर्थिक विकास को सम्यक् दिशा प्रदान कर सकता है। यहाँ पर मद्रास विकास संस्थान के अध्यक्ष डॉ. मैल्कम एस. आदिशेषैया का कहना एकदम प्रासंगिक है कि *"किसी भी समाज में व्यापक व सूक्ष्म आर्थिक परिवर्तन लाने का सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा है। यह गरीबी हटाने का एक प्रमुख साधन है। मानव-पूँजी निर्माण, जनशक्ति-नियोजन एवं आर्थिक बेहतरी में शिक्षा व उसके विभिन्न स्वरूपों का सबसे अधिक योगदान है।"*

स्त्री-जीवन के आर्थिक-सबलीकरण की निर्माण-प्रक्रिया में शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अतः महिलाओं के आर्थिक-सबलीकरण का मतलब यह है कि स्त्रियों में न केवल अपने उत्पादकीय कार्यों से आर्थिक सक्षमता व अर्थ-अर्जनता का स्तर बढ़े, बल्कि उनकी उत्पादकता व रोजगार को उनके स्वयं के परिप्रेक्ष्य में मान्यता भी मिले। संसार भर में अर्थचिंतक शिक्षा को एक विनियोग तत्व मानते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा पर किया गया व्यय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र को व्यापक आर्थिक लाभ पहुँचाता है, और यह व्यय यदि "आर्थिक-सबलीकरण के नारीवाद" पर किया जाए तो समाज को कई मायने में,

4. लोढ़ा, जितेन्द्र कुमार, "शिक्षा आर्थिक विकास का एक सशक्त माध्यम", प्राइमरी शिक्षक, एन.सी.ई.आर.टी. नयी दिल्ली, जुलाई 2002, पृ. 24.

कई गुना लाभ मिलेंगे। इसीलिए नई शिक्षा नीति-1986 व प्रोग्राम ऑफ एक्शन-1992 में स्त्री-सबलीकरण की दृष्टि से, शिक्षा के महत्त्व को रेखांकित करते हुए कहा गया कि *"स्त्रियों की पदवी (Status) में मूल परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा का उपयोग एक अभिकर्त्ता के रूप में किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की स्त्रियों के सशक्तीकरण की दृष्टि से सकारात्मक एवं मध्यस्थता वाली भूमिका होगी। साथ ही यह संकल्प लिया गया कि स्त्रियों की निरक्षरता के उन्मूलन को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।"*[5]

इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा द्वारा नारी-जगत में आर्थिक-संवेदनशीलता पर आधारित सुयोग्य, जागरूक एवं कौशलों से परिपूर्ण मातृशक्ति का उदय होगा, जो नियोजित ढँग से अपने विवेक, दायित्व-बोध, कौशल एवं ज्ञान का प्रयोग कर, न केवल अपने आर्थिक-सबलीकरण को सम्यक् दिशा दे पायेगी, बल्कि राष्ट्र के आर्थिक निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पायेगी। महिलाओं के जीवन सुधार अर्थात् सबलीकरण की दृष्टि से, बीजिंग (चीन) में 4 सितम्बर से 15 सितम्बर 1995 में आयोजित चतुर्थ महिला-संदर्भित विश्व सम्मेलन में गहन मंथन के बाद इस बात को स्वीकारा गया कि *"महिलाओं की उन्नति एवं सबलीकरण का मुख्य माध्यम व आधार तो शिक्षा एवं शिक्षातंत्र की मंशाएँ ही हैं।"* 1986 में विकास में महिलाओं की भूमिका पर प्रथम विश्व सर्वेक्षण किया गया। जिसके आँकड़ों से सिद्ध हुआ कि *"उत्पादकीय व विकास कार्यों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमिका के इस ग्राफ में शिक्षित महिलाओं का योगदान उच्च भाव में पाया गया, साथ ही शिक्षा से वंचित महिलाओं में, अपने कार्यों के आर्थिक-मूल्यों का भान व लेखांकन का दृष्टिकोण न्यून देखा गया।"*[6] इस प्रकार यह निष्कर्ष अपने आप में महिलाओं के आर्थिक-सशक्तीकरण में शिक्षा की महती भूमिका को रेखांकित करता है। महिलाओं के आर्थिक-सबलीकरण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका, शिक्षा के महिला-विकास सापेक्ष उद्देश्यों एवं तद्नुरूप उसके कार्यों की सफल क्रियान्वितियों के दृष्टिकोणों में निहित है। शिक्षा द्वारा महिलाओं का आर्थिक-सशक्तीकरण, उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्त्यात्मक दृष्टिकोण के सम्यक् स्वरूप का ही फलन है। अतः महिलाओं के आर्थिक-सबलीकरण में शिक्षा की भूमिका के विभिन्न पक्षों की महत्वपूर्ण बानगी को अग्रांकित आरेख द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है।

5. अग्रवाल जे.सी., "रिसेंट डेवलपमेंट एण्ड ट्रेंड्स इन एजुकेशन", शिप्रा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2009, पृ. 178.
6. श्रीवास्तव, सुरेशलाल, "*विश्व मानवाधिकार और महिलाएँ*, विद्या मेघ, मेरठ, वर्ष-12, अंक-113, दिस.-2006, पृ. 6-7.

महिलाओं के आर्थिक-सशक्तीकरण में शिक्षा की भूमिका के विभिन्न पक्ष

ज्ञानात्मक-पक्ष की भूमिका

समाधानीय दृष्टिकोण प्रदान करना

- कार्यक्षमता, कार्यदक्षता, वृत्तिक-कौशलों के व्यावहारिक व सैद्धांतिक पक्षों की जानकारी देना।
- विभिन्न प्रशिक्षण, रोजगारों, कार्य के अवसरों एवं अर्थ-सृजन की गतिविधियों की जानकारी देना।
- महिलाओं के उत्पादकीय कार्यों की पहचान व उसके मूल्यों की जानकारियों को प्रकट करना।
- महिला-उन्नति के अधिकारों, नियमों एवं विधिक दृष्टिकोणों की जानकारी प्रदान करना।
- अर्थ-योजनाओं में महिलागत-नियोजनों व आरक्षणों की जानकारी प्रदान करना।
- महिला आर्थिक-सबलीकरण के क्षेत्र की मानसिक व व्यवस्थापकीय बाधाओं की जानकारियों को प्रकट कर उनके विभिन्न विधाओं के योग्यतापरक ज्ञान व उनके विशिष्टीकरण को महिला संदर्भों में प्रबंधित करना।
- आर्थिक-सबलीकरण की विभिन्न सूचनाओं व स्रोतों की जानकारी प्रदान करना।
- स्वरोजगार के दृष्टिकोणों की जानकारी प्रदान करना।
- मीडिया आधारित जन जागरण के कार्यक्रमों को दिशा देना।

कौशलात्मक पक्ष की भूमिका

- नेतृत्व एवं निर्णयात्मक क्षमताओं का विकास करना।
- आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता के कौशलों का विकास करना।
- श्रेष्ठ अवसर एवं विकल्प चयन की योग्यता का विकास करना।
- विभिन्न विधाओं से संबंधित वृत्तिक कौशलों की दक्षता का विकास करना।
- साहसिकता का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- स्वावलंबन की दक्षता का विकास करना।
- क्षमताओं को सामर्थ्य में बदलने की योग्यता का विकास करना।
- सहअस्तित्व एवं स्वयं-सहायता के कौशलों का विकास करना।

अभिवृत्त्यात्मक पक्ष की भूमिका

- लैंगिक संवेनदनशीलता के स्तर को बढ़ाना।
- आर्थिक-सशक्तीकरण के प्रति जागरूकता के स्तर को बढ़ाना।
- पेशेवराना अंदाज़ व छवि को दिशा देना।
- आत्मसम्मान एवं आत्मनिर्भरता की भावनाओं को बढ़ाना।
- कार्यकुशलता व पूर्णता की धारणा में विश्वास पैदा करना।
- श्रम-साधना के विश्वास को बढ़ाना।
- कार्य की दशाओं के प्रति संवेदनशीलता के पर्यावरण को विकसित करना।
- आर्थिक-विकास व अवसरों के प्रति संवेदनशीलता के स्तर को बढ़ाना।
- अर्थ-अर्जन व सृजन की दूरदर्शिता को बढ़ाना।
- सबलीकरण के प्रयासों के प्रति संवेदनशीलता एवं तद्नुरूप योजनाओं का लाभ उठाने की अभिवृत्ति विकसित करना।

उपर्युक्त आरेख में वर्णित महिलाओं के आर्थिक-सबलीकरण के विभिन्न शैक्षिक-पक्षों को नियोजित व एकीकृत स्वरूप में लागू कर, तद्नुरूप क्रियात्मक-आयोजनों (Action Plan) को दिशा देकर ही हम महिला-सशक्तीकरण की अवधारणा को आज चतुर्दिक स्वरूप में प्राप्त कर सकते हैं, फिर जाकर हम यह कह सकते हैं कि *"किसी भी राष्ट्र की आत्मा, जिसका कोई इतिहास है, उसकी भाव-भाषा वहाँ की महिलाओं के विकास, प्रगति एवं समृद्धि में बोलती है। महिलाएँ समाज की रचनात्मक शक्ति होती हैं। उनके आगे बढ़ने से देश आगे बढ़ता है, उनके रुक जाने या धीमा हो जाने से देश थम जाता है। समाज की व्यवस्था या अव्यवस्था, नागरिक दायित्वों एवं कौशलों की दृढ़ता या उपेक्षा, आत्मशक्ति की मजबूती या दुर्बलता जैसी संवेदनशील भावनाओं को नारी-शक्ति जैसा चाहे वैसा मोड़ दे सकती है। इसलिए नारी शक्ति का शिक्षित होना जरूरी है"*[7]...

आर्थिक सशक्तीकरण के स्त्री-विमर्श में शिक्षा का उत्तरदायित्व

आज भी स्त्री की उत्पादकता या आय को सहायक या पूरक के रूप में देखे जाने का नज़रिया प्रचलित है। अर्थ जगत में किसी प्रकार के लैंगिक-विभेद को मान्यता नहीं है, उसमें मानव को केवल उत्पादन का साधन या उसका स्वामी समझा जाता है। फिर चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, जो साधन की भूमिका निभायेगा, वही उत्पादन में से हिस्सा या आय लेगा। आज की महिलाएँ विशेषकर भारत के संदर्भ में, राष्ट्र के उत्पादक-कार्यों में सक्रिय रूप से संलिप्त होने के बावजूद भी उन्हें न तो साधन के रूप में मान्यता मिली है, और न ही उन्हें अर्थ-स्वरूप में सम्यक् प्रतिफल मिलता हुआ दिखाई देता है। फलस्वरूप उनमें आर्थिक-निबलीकरण व परनिर्भरता की भावनाएँ विकसित हो जाती हैं, जो उनके आर्थिक-सशक्तीकरण में अवरोध का कार्य करती हैं। अतः इस दिशा में शिक्षा का प्रथम दायित्व यह है कि वो स्त्रियों को ऐसी शैक्षिक व्यवस्था एवं प्रावधान प्रदान करे, जिससे वे अपने भावी जीवन में न केवल अर्थोपार्जन की सशक्त-इकाई बनें, बल्कि साथ-ही-साथ उनके अर्थोपार्जन पर उनका स्वतंत्र अधिकार व मान्यता प्रदान करने का सामाजिक-पर्यावरण भी विकसित हो सके। जहाँ एक ओर आर्थिक स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता स्त्री-मुक्ति की कुँजी है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा इस कुँजी की प्राप्ति का मार्ग है। इसलिए हमें नारी-शिक्षा के पारिवारिक सरोकारों से लेकर शासकीय शिक्षा-विभाग तक में इस दिशा की समुचित व्यवस्थाओं को देखना होगा। शिक्षा के पैरोकारों को आज यह भी देखना होगा कि नारी-शिक्षा मात्र नौकरी दिलाने में काम आने भर का जादू बनकर न रह जाए, बल्कि उसके साथ-साथ हमें समानता और एकता को नारी-जीवन के हर

7. *"इक्कीसवीं सदी होगी नारी सदी"*, अखण्ड ज्योति, मथुरा, अंक-2, वर्ष-75, फरवरी-2011, पृ. 5-6.

क्षेत्र में जोड़ने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी।

नारी के आर्थिक उत्थान के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि नारी-जगत में शिक्षा का संवर्द्धन हो, क्योंकि शिक्षा जीवन के सभी क्षेत्रों के विकास की अधिष्ठात्री है। अत: महिलाओं की दृष्टि से समाज में व्याप्त भेदभावों को मिटाने एवं उनके आर्थिक-सबलीकरण की दृष्टि से शिक्षा, शिक्षा-व्यवस्था, शिक्षक एवं शिक्षा के पैरोकारों से उन सभी दायित्व-पूर्तियों की अपेक्षा की जाती है, जो महिलाओं के आर्थिक-सशक्तीकरण के सभी संदर्भों की पूर्णता में सहायक बने। इस दृष्टि से अब नीति-निर्माताओं और शिक्षा देने वालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दमन के दुष्चक्र को तोड़ने वाली प्रक्रियाओं को, अब शिक्षा से ही शुरू करना है। ऐसा कर पाने के लिए वर्तमान शिक्षा में न केवल महिला-सशक्तीकरण के वातावरण की दरकार होगी, वरन् पाठ्यचर्या में उपलब्ध सभी विषयों व संदर्भों को समेटने वाले शिक्षण की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। अब तक स्त्री-शिक्षा के जो प्रयास हुए हैं, वो शुभ व सम्यक् हैं, हम उसके लिए कृत्-कृत्य भी हैं, लेकिन अभी भी शिक्षा से अपेक्षा है कि वो और उसके पैरोकार (जिसमें महिलाएँ भी शामिल हों) नारी-शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक-शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध करवाए, जिससे स्त्रियों में आर्थिक-स्वावलंबन को प्रबंधित किया जा सके। चूँकि शिक्षा की अवधारणा अपने सनातनी संदर्भ में, सदैव से ही समाज-सापेक्ष एवं उत्तरदायी-अभिकरण वाली भूमिका में रही है। इसी विचार-क्रम की पृष्ठभूमि में महिलाओं के आर्थिक-सबलीकरण की दृष्टि से शिक्षा के उत्तरदायी पहलू निम्न प्रकार हैं:

- महिलाओं के लिए पृथक् रूप से व्यावसायिक-पाठ्यक्रमों एवं व्यावसायिक-संस्थानों की जड़ स्तर पर प्रसार व स्थापना संबंधी व्यवस्थापकीय दायित्व।
- महिलाओं के आर्थिक-सबलीकरण के सभी सरोकारों को शिक्षा के माध्यम से प्रचारित व प्रसारित करने का दायित्व।
- शैक्षिक-संगठनों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक-सबलीकरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करवाकर इस दिशा के महत्त्व व अभिवृत्ति को विकसित करने का दायित्व।
- विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों आदि में महिलाओं के आर्थिक-सबलीकरण के उन्नयन हेतु विशिष्ट वार्ताओं, रोजगार-मेलों एवं संगोष्ठियों आदि के अनिवार्य आयोजनों के प्रावधानों को सुनिश्चित करने का दायित्व।
- महिलाओं की उत्पादकता, उनके कार्यों एवं उनकी आय को अकादमिक मान्यता दिलवाने का दायित्व।
- सभी शैक्षिक विषयों एवं संकायों के पाठ्यक्रमों में महिलाओं की स्वावलंबनता से जुड़े मुद्दों को डिज़ाइन कर, समावेशित किया जाए।
- महिलाओं के आर्थिक-उन्नयन के विभिन्न अवसरों एवं कार्यक्रमों को न केवल डिज़ाइन

करना, बल्कि उसके प्रति चेतना को भी प्रबंधित करने का दायित्व।

- स्वावलंबी एवं उद्यमी महिलाओं के उदाहरणों को प्रेरक के रूप में शिक्षा-पाठ्यक्रमों में रेखांकित करवाना।
- महिलाओं में स्वरोजगार, जोखिम उठाने की क्षमता, वित्तीय-क्षेत्रों, उद्योग परियोजनाओं एवं स्थापना-प्रक्रियाओं आदि दृष्टिकोणों का आर्थिक-सशक्तीकरण की दृष्टि से अकादमिक नेतृत्व करना।
- स्त्री-शिक्षा के विभिन्न स्तर के पाठ्यक्रमों का संबंध जीवन व रोज़गार की चुनौतियों से जोड़ने का दायित्व।
- स्त्री-शिक्षा के शैक्षिक-कार्यक्रमों में व्यावसायिक-निर्देशन एवं परामर्श की अवधारणा को समावेशित कर, इसके व्यावहारिक दृष्टिकोण को भी प्रबंधित करने का दायित्व।

इस प्रकार प्रकट है कि उपर्युक्त दायित्व -निर्वहन की भूमिका अदा करके शिक्षा, 'नारीवाद के आर्थिक-सशक्तीकरण' को महत्वपूर्ण दिशा दे सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा यदि परिवर्तन का कारक है, तो साथ ही वह मानव समाज की दृष्टि से असम्यक् परिवर्तनों, विसंगतियों तथा बुराइयों को रोकने का प्रबल अभिकरण भी है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि समानता के साथ महिला आर्थिक-सबलीकरण की अवधारणा को सिरे चढ़ाने का आधारभूत दायित्व शिक्षा का ही है।

निष्कर्ष

शिक्षा एवं स्त्री-विमर्श के संबंधों के विवेचन से यह सार निकलता है कि आज के स्त्री-विमर्श की सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसका सर्वपक्षीय सबलीकरण होना। चूँकि शिक्षा सदैव से ही, सभी प्रकार के विकासों व सशक्तीकरणों की अधिष्ठात्री रही है। अतः महिला-संदर्भित आर्थिक-सबलीकरण की अवधारणा अपने विकास के लिए शिक्षा व शिक्षा जगत से किंचित भी परे नहीं हो सकती। क्योंकि स्त्री-जीवन के उत्पादकीय-पक्षों के निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्त्री-जीवन के आर्थिक-उन्नयन हेतु शिक्षा के ज्ञानात्मक, कौशलात्मक एवं अभिवृत्त्यात्मक कार्य हमेशा की तरह आज भी इस दिशा के सबसे प्रभावशाली एवं समाधानशील विकल्प हैं। जिनका चयन करने से ही अर्थजगत में न केवल स्त्रीजन्य उत्पादकता को मान्यता मिलेगी, बल्कि उसके उत्पादन को, उसकी आय के संदर्भ में देखे जाने की प्रवृत्ति को भी बल मिलेगा। शायद इसीलिए ही भारत के प्रसिद्ध भविष्यशास्त्री प्रो. मैल्कम एस. आदिशेषैया का कहना एकदम समीचीन लगता है कि -*"चाहे किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, वो परिवार व समाज के सूक्ष्म एवं व्यापक आर्थिक-परिवर्तनों, आर्थिक-समझ एवं आर्थिक-कौशलों का आधार है। अपने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्वरूप में वो विद्यार्थियों में सामान्य व सम्यक् अभिवृत्तियों का तथा उच्च शिक्षा के स्वरूप में वो दक्षतापरक-कौशलों का विकास*

करके समाज में आवश्यक परिवर्तनों की समझ पैदा करती है।"[8] इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा आर्थिक परिवर्तनों, समझ व कौशलों का आधार है, जो अवांछित आर्थिक-परिवर्तनों से समाज को बचाती है तथा वांछित आर्थिक-परिवर्तन प्राप्त करने के लिए समाज को प्रशिक्षित करती है। इसलिए महिलाओं के आर्थिक-सशक्तीकरण का पहलू भी अपने विकसित स्वरूप के लिए, शिक्षा से परे हो ही नहीं सकता। क्योंकि शिक्षा तो विकास की वो वाहिनीका है, जिसे किसी भी रास्ते में ले जाया जा सकता है, रास्ता हमें निर्धारित करना है, शिक्षा तो किसी भी रास्ते में बहने को तैयार है, क्यों न हम उसे महिला-अर्थोपार्जन की राह दिखा दें.....

8. आदिशेषैया, मैल्कम एस., *"शिक्षा आर्थिक-परिवर्तन का सशक्त माध्यम"*, योजना, भारतीय सूचना प्रसारण मंत्रालय, नयी दिल्ली, वर्ष - 37, अंक 23-24, जनवरी 1994, पृ. 11-16.